भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4444

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण

4444. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने देश में कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एनसीएलटी और एनसीएलएटी द्वारा देश में कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) एनसीएलटी के कंपनी कानून बोर्ड और जिला न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के अंतरण की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) की गठन प्रक्रिया को इन निकायों के गठन एवं संरचना से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंधों को उच्चतम न्यायालय में दी गई कानूनी चुनौतियों के कारण स्थगित रखा गया है। एनसीएलटी द्वारा अपनी स्थापना के बाद, लंबित मामलों के अंतरण की विस्तृत प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

*****